कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, (कक्ष भू-प्रबंध)

वन भवन, डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 2432 भोपाल, दिनांक 25-9-25

प्रति,

वन महानिरीक्षक, (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषयः- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 21/09/2025

--00--

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सैद्वांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर चाही गयी जानकारी का उत्तर निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

क्रं	प्रकरण चाही गयी अतिरिक्त जानकारी	प्रेषित जानकारी
1	The State Government shall re-cast the proposal as per the recommendation of the Sub-Committee and submit with all requisite details/kml files, maps, documents, certificates, CA scheme and recommendations of concerned authorities.	प्रकरण को चरणबद्ध तरीके से बनाये जाने हेतु पूर्व में राज्य शासन की अनुशंसा सहित प्रस्ताव दिनांक 26/04/2023 को भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है। प्रकरण के संबंध में दिनांक 30/07/2025 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली में सलाहाकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। सलाहाकार समिति द्वारा प्रकरण को संशोधित कर पुनः प्रेषित करने की अनुशंसा की गई। तदानुसार उप समिति की सिफारिशों के परिपालन मे आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना के प्रथम बांध गंजाल बांध मे प्रभावित होने वाली वनभूमि का संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सुलभ संदर्भ हेतु गंजाल बांध सें संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे :- KML File, सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट, जियो-रिफरेंस मेपे, तुलनात्मक विवरण पत्रक, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित आर.एंड.आर. प्लान, औचित्य टीप, FRA प्रमाण पत्र, संबंधित वनमंडलाधिकारियों एवं मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट/अनुशंसा, CAT प्लान,प्लान, प्रभावित वृक्षों के गणना पत्रक गोशवारा सहित,सहित, SFRI जबलपुर की वनक्षेत्र में वन्यप्राणियों की उपस्थिति की विश्लेषण रिपोर्ट, CA स्थलों के संबंधित जिला कलेक्टर के हस्तांतरण ओदश, क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय तकनीकी स्वीकृति आदि सभी दस्तावेजों को इस पत्र के साथ पृथक से **Pen-Drive** मे तथा **ई-मेल** के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
2	The state shall also provide a point wise status report on the recommendations of the sub-committee.	

<table>
<tr>
<td>2.1</td>
<td>The in-principle approval is recommended for one dam only, with its reservoir area. The dam is to be initiated first, is to be suggested by the State Government. After the construction and operationalization of the first one, the decision on construction of the second dam shall be taken up. This will be done only after the impact of the first dam is studied in detail. This staggered approach will enable data driven, evidence-based decisionmaking, ensuring ecological concerns are not compromised in pursuit of developmental objectives.</td>
<td>उप समिति द्वारा एक ही बांध के निर्माण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदाय करने की सिफारिश की गई है, तदानुसार आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना के पहले गंजाल बांध का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया है :-
गंजाल बांध के निर्माण कार्य हेतु कुल 811.29 हेक्ट. वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिसका कार्यवार विवरण निम्नानुसार है :-
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>प्रस्तावित कार्य</th><th>वनभूमि का रकबा (हे.में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बांध क्षेत्र</td><td>14.24</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पाइपलाइन</td><td>12.46</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अप्रोच रोड</td><td>18.99</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ट्रांसमिशन लाइन</td><td>4.12</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गंजाल बांध का डूब क्षेत्र (FRL)</td><td>761.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल रकबा :-</td><td>811.29</td></tr>
</table>
(इस प्रस्तावित 811.29 हे. वनभूमि के रकबे की KML File तैयार की गयी जिसमें कार्यो को अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।)
प्रकरण मे प्रभावित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्राप्त गैर वन भूमि का विवरण :-
<table>
<tr><th>क्र.</th><th>जिला कलेक्टर का हस्तांतरण आदेश दिनांक</th><th>हस्तांतरित गैर वनभूमि (हे.में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जिला कलेक्टर सागर- दिनांक 14.07.2016</td><td>613.280</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जिला कलेक्टर आगर मालवा - दिनांक 21.09.2021</td><td>33.980</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जिला कलेक्टर जबलपुर - दिनांक 18.02.2019</td><td>170.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल रकबा :-</td><td>817.26</td></tr>
</table>
(उक्त हस्तांतरण आदेशों की छायाप्रति एवं गैर वनभूमि 817.26 हेक्ट. की KML, मानचित्र, तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय तकनीकी स्वीकृति सहित संलग्न है)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2</td>
<td>The Wildlife Institute of India shall take up short term study in terms of functionality of the corridor in addition to the other broad mandate of the study already assigned to them. The validation of functionality of the corridor is to be taken into account before the final approval is considered.</td>
<td>आवेदक संस्थान द्वारा जैव विविधता और वन्यजीवों पर परियोजना के संभावित प्रभावों के अध्ययन करने के लिए तकनीकी प्रस्ताव की राशि रुपये 3,67,24,454/- दिनांक 15.01.2025 को भारतीय वन्यजीव संस्थान को भुगतान किया है। उक्त अध्यन की अवधि 24 माह की होगी।</td>
</tr>
</table>

2.3	Recommendation of SCNBWL will be obtained before considering Final Approval for the proposal.	आवेदक संस्थान द्वारा लेख कर अनुरोध किया है, कि परियोजना में वन समेकित दिशानिर्देश और स्पष्टीकरण, दिनांक 29.12.2023, बिंदु संख्या 1.22, पृष्ठ संख्या 47 अनुसार सैद्धांतिक स्वीकृति के उपरांत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर राशि जमा की जा सकती है एवं परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि जमा कर भी स्वीकृति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही आवेदक संस्थान द्वारा वन्य प्राणी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन क्र. WL/MP/IRRIG/452403/2023 से आवेदन किया गया है।
2.4	A study will be taken up by the State government in collaboration with NTCA and WII to map presence and movement of tigers between tiger reserves in the Central Indian landscape to delineate true corridors, validated with field data. This may be done on bi-annual basis for a period of at least six years.	इस संबंध में कार्यालयीन पत्र दिनांक 12.08.2025 से सदस्य सचिव, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है, सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की प्रति संलग्न है।

अत: उपरोक्तानुसार अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार से सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

25.09.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 2433 भोपाल, दिनांक 25-9-25

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. परियोजना प्रशासक, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, पी.आई.यू. सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

25.09.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध) वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, तुलसी नगर, भोपाल-462003

क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 2177 भोपाल, दिनांक 12/08/2025

प्रति,

सदस्य सचिव,
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार,
बी-1 विंग, सातवां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ. काम्पालेक्स, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003

विषय:- जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली का दिनांक 09/08/2025

2. इस कार्यालय का क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/6140, दिनांक 30.12.2024 एवं क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/99, दिनांक 07.01.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न है) का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण के संबंध में दिनांक 30/07/2025 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली में सलाहाकार समिति की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में भारत सरकार द्वारा प्रकरण में निम्न बिन्दु "*A study will be taken up by the State government in collaboration with NTCA and WII to map presence and movement of tigers between tiger reserves in the Central Indian landscape to delineate true corridors, validated with field data. This may be done on bi-annual basis for a period of at least six years.*" पर रिपोर्ट चाही गयी है।

अतः प्रकरण में अनुरोध है, कि भारत सरकार की उपरोक्त सिफारिश अनुसार विस्तृत रिपोर्ट मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण में भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

12.08.25

(एच.एस.मोहन्ता)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-3/16/2018/10-11/ 2178 भोपाल, दिनांक 12/08/2025

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बाक्स-18, चन्द्रबनी, देहरादून-248001

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

12.08.25

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\e-office\Section F-3 (Part-iv).docx